

दिनांक	आज्ञा पत्र	
--------	------------	--

12.10.22

पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक सच न आज न्यायिक कार्य स्थागित रखा। पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक... को पेश हो

7.11.22

प्रस्तुत वकील अपील/रेसपोन्स/उपायगत/आसीन अधिकारी महोदय आज... पर है। अतः पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक... को पेश हो

30.1.23

पत्रावली पेश। वकील अपील को पूर्व पेशी पर हदायत दी गई थी कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रेस्पोंडेंट्स के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जायेगी। आज दिनांक तक अपील के रजिस्टर्ड नोटिस पेश नहीं किये गये हैं इससे स्पष्ट है कि वकील अपनी अपील के प्रति गम्भीर नहीं है। फलस्वरूप अपील अपील आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज की जाती है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल सुनार होकर नम्बर से कम होकर बाद तर्तीब तकमील दाखिल दफतर हो।

भू-प्रवन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर(कैम्प झुञ्झन)

